फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

रामा देवी बनाम मोहन वगै०

वाद

जमा नम्बर 394/50/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14/8/24	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21/8/24 को पेश हो।	
	21/8/24	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22/8/24 को पेश हो।	
	22/8/24	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23/8/24 को पेश हो।	
	23/8/24	प. का. उपस्थित वादीया रामा देवी हाजिर है पूर्व के साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली के उपलब्ध दस्तावेजों पर गौर किया गया। शपथ-पत्र शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी संख्या 10 के अधिवक्ता को बार बार आवाज दिलाने के बावजूद भी अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं जरिये अधिवक्ता के उपस्थित होकर पुनः साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी 10 भी तामील के बावजूद अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है और साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते हैं साक्ष्य का अवसर बन्द किया जाता है। अधिवक्ता प्रतिवादी ने जिरह नहीं की, जाकर वादीगण की बहस अंतिम [illegible] आवश्यक [illegible] वादी से [illegible] वादी का [illegible] पाबन्द, [illegible] वादी से। [illegible] 2/9/24 को पेश हो।	अधि. रामा देवी [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] 23/8/24
	2/9/24	प. का. उपस्थित / तथा प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं व उनका पुत्र सुरेश उपस्थित हुये तथा प्रतिवादी संख्या 4 के जरिये अधिवक्ता के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

रामादेवी बनाम भैरू वगै०

मुकदमा नम्बर 294/54/2009 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		उपस्थित होकर 50/- स्टाम्प पेपर पर एवं मौखिक कथनकर वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किये जाने सहमति दी गई है। ऐसे वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है। डि०प० पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर इन्द्राज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।
		[signature]
		सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मु0सं0–294 / 50 / 2009
उनवान–रामा देवी बनाम भैरु वगै0
निर्णय दिनांकः–02.09.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक / मु0) चौमूँ, जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :–रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–294 / 50 / 2009

उनवान

1. रामा देवी पत्नी लालचन्द
2. हेमराज पुत्र लालचन्द
3. पवन पुत्र लालचन्द
4. आशा देवी पुत्री लालचन्द
5. उषा पुत्री लालचन्द
6. ज्योति पुत्री लालचन्द नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका रामा देवी पत्नी लालचन्द, समस्त जाति बलाई, निवासियान ग्राम हाड़ौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, हाल निवासी बी–36, बी ब्लॉक, पुराना नांगनल गांव, दिल्ली–110010।

–वादीगण

बनाम

1. भैरु पुत्र घीसा
2. राजू पुत्र मूलचन्द
3. मोहनलाल पुत्र मूलचन्द
4. अर्जुनलाल पुत्र मूलचन्द
5. पूरणमल पुत्र मूलचन्द
6. महेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द
7. चन्दा पुत्र मूलचन्द
8. किशनी देवी पत्नी मूलचन्द
   समस्त जाति बलाई, निवासियान ग्राम स्याउ (धोबलाई), तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. मनभरी देवी पत्नी रघुनाथ, जाति बलाई, निवासी रामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. कजोड़ पुत्र नारायण, जाति बलाई, नि[illegible] हाड़ौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं जिला जयपुर।
12. उप पंजीयक, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

13. दीपक कुमार बुनकर पुत्र श्री रामपाल बुनकर, जाति बलाई, निवासी ग्राम ईशरावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

14. महेन्द्र कुमार पुत्र नन्दराम चितोड़िया, जाति कोली, निवासी प्लॉट नं0 1, राजहंस कॉलोनी न0 3, ब्रहम्पुरी, जयपुर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–02.09.2024

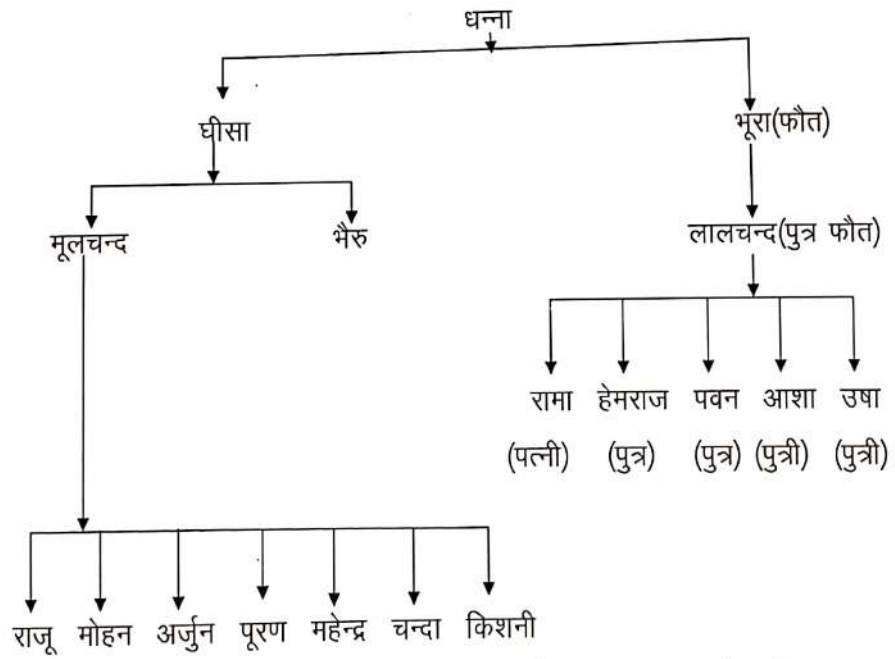

वादीगण द्वारा वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण वाके ग्राम हाड़ौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, राजस्थान के मूल रहवासी हैं, जिनके पूर्वज भूरा पुत्र धन्ना, जाति बलाई की खातेदारी आराजी वाके ग्राम हाड़ौता में है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 का सजरा खानदान निम्न रुप में है:–

जिसमें भूरा पुत्र धन्ना [illegible] का पूर्वज था, ग्राम हाड़ौता में बसा तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 का पूर्वज ग्राम स्[illegible] तहसील चौमूं में बसा। उसी अनुसार दोनों की खातेदारी भूमि अ[illegible] काबिज काश्त करते रहे। वादीगण के पूर्वज भूरा पुत्र धन्ना के ग्राम हाड़ौता में खातेदारी भूमि खसरा नं0 57

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 231 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 232 रकबा 0.06 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर तथा खसरा नं0 1747 रकबा 0.01 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.01 हैक्टेयर थी, जो कि वादपत्र में भूमि विवादग्रस्त है। वादीगण के पूर्वज भूरा पुत्र धन्ना अपनी खातेदारी भूमि विवादग्रस्त पर काबिज काश्त करते रहे। भूरा का पुत्र लालचन्द भारतीय सेना में सेवारत रहा है, जिस कारण अधिकतर समय बाहर रहना पड़ा, जिससे लालचन्द द्वारा विवादग्रस्त आराजी को राजस्व रिकॉर्ड संबंध हिस्सों के दौरान व समय–समय पर विवादग्रस्त आराजी की देखभाल करता रहा, जो मौके पर बारानी ही रही। प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 ता 8 के पूर्वज मूलचन्द ने वादीगण में पति/पिता की भारतीय सेना की सेवा का नाजायज फायदा उठाकर भूरा पुत्र धन्ना का इंतकाल होने के बाद राजस्व विभाग के करकानूनों से साजिश कर भूरा पुत्र धन्ना का फौती नामान्तकरण सं0 82 दिनांक 15.05.1964 इन्द्राज करवा लिया, जो बमुकाबले वादीगण व उनके पति/पिता लालचन्द अवैद्य व शून्य है, जिससे प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते हैं ना ही प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 का कोई सरोकार विवादग्रस्त आराजी से ही रहा है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 द्वारा नामान्तकरण सं0 82 दिनांक 15.05.1964 के आधार पर अवैद्य व शून्य अन्तरण भी बमुकाबले वादीगण प्रभाव शून्य व अवैद्य एवं प्रारम्भ से ही शून्य है जिनका कानून की नजर में कोई महत्व नहीं है। भूरा पुत्र धन्ना के इंतकाल के समय उसका मात्र पुत्र लालचन्द नाबालिग जिसकी माता मांगी देवी ने उसका पालन–पोषण किया। इस प्रकार भूरा पुत्र धन्ना के मूलचन्द, भैरु नाम की कोई सन्तान नहीं थी, ना ही उनका विवादग्रस्त आराजी से लोना–देना ही रहा है। वादीगण के पति/पिता लालचन्द के इंतकाल दिनांक 23.01.2008 को दिल्ली में हुआ तक वादीगण ने राजस्व विभाग कर्मचारियों से राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल दर्ज करवाने के लिए सम्पर्क किया तो ज्ञात हुआ कि राजसव रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज हो रखे हैं, जिसके कारण वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सकता है। जिस पर वादीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड देखने पर ज्ञात हुआ कि वादीगण के पूर्वज भूरा पुत्र धन्ना के इंतकाल नामान्तकरण में प्रतिवादी सं0 1 व मूलचन्द का मात्र इन्द्राज कर रखा है, जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 से एतराज किया, तो प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 ने रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने का आश्वासन दिया कि जब राजसव विभाग के अभियान होंगे तब आसानी से रिकॉर्ड दुरुस्त हो जावेगा। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 दिनांक 30.03.2009 को कुछ अन्य व्यक्तियों को विवादग्रस्त आराजी को बेचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

करने के इरादे से लेकर आये और विवादग्रस्त आराजी को बेचान करने की धमकी वादीगण को देने लगे, जिस कारण उक्त वादपत्र पेश करना लाजमी आया।

वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा गया है कि विवादग्रस्त आराजी का नामन्तकरण सं0 82 दिनांक 15.05.1964 को अवैद्य व शून्य घोषित किया जाकर वादीगण को बतौर खातेदार काश्तकार इन्द्राज किया जावे, उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज किया जावे। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवायें कि वे विवादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी ना करें, ना ही बेचान करें, ना ही मजाहमत मदाहखलात करें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 2 ता 8 तामील के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी सं0 10 असालतन व वकालतन अनुपस्थित है, अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादीगण सं0 1, 9, 13 व 14 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हैं।

प्रतिवादी सं0 13 व 14 की ओर से जवाब दावा इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण कभी भी ग्राम हाड़ौता में नहीं रहे हैं, वादीगण अरसे दराज से ही दिल्ली में रहे हैं। वादीगण का ग्राम हाड़ौता से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादीगण ने जो कुर्सीनामा पेश किया है वह पूर्णतया गलत कुर्सीनामा पेश किया है क्योंकि वादीगण कभी भी ग्राम हाड़ौता में रहे ही नहीं तथा वादीगण उक्त भूमि में ऐन–केन प्रकारेण अपना हक अधिकार साबित करने की गरज से मनगढ़ंत ढंग से उक्त कुर्सीनामा तैयार किया जिससे कि उक्त भूमि में हिस्सा प्राप्त कर सकें तथा उक्त भूमि ना तो कभी वादीगण के कब्जेकाश्त में रही ना ही उक्त भूमि से कभी भी वादीगण का कोई संबंध सरोकार रहा है। उक्त भूमि के पूर्व खातेदारान भैरु पुत्र भूरा ने अपने हिस्से 1/2 भाग की भूमि को मनभरी देवी पत्नी श्री रघुनाथ, कौम बलाई, निवासी ग्राम रामपुरा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2008 को बेचान कर दी थी तथा उसके पश्चात उक्त भूमि को सम्पूण हक–हकुकों सहित अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 भाग की भूमि को मनभरी देवी पत्नी रघुनाथ बलाई ने सम्पूर्ण विक्रयफल राशि प्राप्त कर दिनांक 16.01.2012 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर दी तथा कब्जा मिन प्रतिवादीगण को सम्भला दिया ... में मिन प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर ... उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर ना तो वादीगण ... ना ही उनके प्रतिवादीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

कभी भी कोई हिस्सा कब्जा उक्त भूमि पर नहीं रहा। वादीगण करीब 40–45 वर्षों से दिल्ली में ही निवास करते हैं, इसलिए उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जाकाश्त होना कतई सम्भव नहीं है। इस कारण कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ किसी भी प्रकार की निषधाज्ञा प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी नहीं हैं। उक्त नामान्तकरण सं0 82 दिनांक 15.05.1964 को खोला गया था, जिसकी जानकारी शुरु से ही वादीगण के पति/पिता व उनके पूर्वजों को पूर्णतया रही थी तथा वादीगण के पति/पिता भारतीय सेवा में होने के कारण शिक्षित व्यक्ति था उसके बावजूद भी कभी भी उक्त सन्दर्भ में जानकारी के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की। इससे वादीगण का वाद मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पर वादीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, वादीगण ने मेलाफाईड इन्टेन्शन से उक्त वाद पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी सं0 1 द्वारा जवाब दावा इस आशय का पेश किया गया है कि उक्त नामान्तकरण सं0 82 दिनांक 15.05.1964 का इन्द्राज गलत होना स्वीकार है, उक्त नामान्तकरण वादीगण के पति/पिता लालचन्द के हक में खुलना चाहिए था, ना कि मिन जवाबदाता व अन्य प्रतिवादीगण सं0 2 ता 8 के पक्ष में खोला जाना चाहिए था, जिस कारण उक्त नामान्तकरण खारिज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। यदि वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तो मिन जवाबदाता को कोई ऐतराज या आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपना शपथ–पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उक्त प्रकरण में मैं प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 हूं। मेरे द्वारा दिनांक 06.03.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ जवाब दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उसके पश्चात् मेरे द्वारा दिनांक 05.01.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत जवाब दावा व एकपक्षीय कार्यवाही निरस्ती प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पर नहीं लिये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 में मेरे द्वारा लगाये गये आरोप किसी जाने अनजाने के बहकावे में आकर प्रस्तुत किये गये थे। जबकि पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मेरे द्वारा दिनांक 06.03.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ जवाब दावा न्यायालय के समक्ष [illegible] किया गया था। जिसमें लिखी सभी इबारतें मेरी जानकारी के अनुसार सही [illegible]। जिस पर प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त उन्वानी प्रकरण में मेरे [illegible] राधेश्याम द्वारा पुलिस थाने में एफआईआर सं0 202/2017 दिनांक 19.04.2017 [illegible] दर्ज करवायी गई थी। जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

झूठे तथ्यों के आधार पर अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था। मेरे पिताजी घीसा पुत्र धन्ना के नाम भूमि स्याउ में स्थित थी और मेरे काकाजी भूरा पुत्र धन्ना की भूमि हाड़ौता में स्थित थी, जिसकी खातेदारी गलत रुप से मेरे व मेरे भाई मूलचन्द के नाम दर्ज हो गई। उक्त उनवानी प्रकरण में वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित कुर्सीनामा अनुसार भूरा के एकमात्र वारिस लालचन्द ही था, जिसके फौत होने के पश्चात् लालचन्द के वारिस वादीगण ही हैं। उक्त वारिसों के नाम वाद में वर्णित भूमि की खातेदारी की घोषणां की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति या ऐतराज नहीं है। ना ही भविष्य में होगी। मैं स्वयं व मेरा भाई मूलचन्द घीसा के वारिस हैं। मूलचन्द के वारिस दिल्ली में निवास करते हैं। उक्त वारिसों को भी वादीगण के नाम उक्त भूमि की खातेदारी की घोषणा की जाती है तो कोई आपत्ति या ऐतराज नहीं है।

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा बहस की गई। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। वादीगण द्वारा अपने पक्ष में साक्ष्य के शपथ–पत्र पेश किये गये तथा साथ ही प्रदर्श संख्या 1 लगायत 29 तक के पेश किये गये तथा प्रदर्श सं0 5 में तहसीलदार चौमूं के दस्ती आदेश दिनांक 10.05.2014 की पालना में पटवारी हल्का हाड़ौता के द्वारा दिनांक 12.05.2014 को प्रस्तुत रिपोर्ट के मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2023 के अनुसार खातेदारी भूरा पुत्र धन्ना कौम बलाई के नाम से थी। भूरा पुत्र धन्ना का 1964 में इन्तकाल हो गया था। उस समय भूरा का असली लड़का लालचन्द भारतीय सेना में सेवा में था। समयाभाव एवं जानकारी के अभाव में उसने पिता की मृत्यु के बाद पैतृक भूमि का नामन्तकरण स्वयं के नाम से नहीं खुलवाया था, जिसका नाजायज फायदा उठाकर लालचन्द के ताऊ घीसा के लड़के मूलचन्द एवं भैरु ने फर्जी तरीके से नामान्तकरण सं0 82 दिनांक 15.07.1964 के द्वारा मृतक भूरा के स्वयं वारिस बनकर मूलचन्द, भैरु पिता भूरा के नाम दर्ज करवाली थी। भैरु पुत्र घीसा कौम बलाई, ग्राम स्याउ, तहसील चौमूं में निवास कर रहा है। ग्राम स्याउ, तहसील चौमूं के राशन कार्ड व मतदाता सूची में भैरु के पिता का नाम घीसा अंकित होना बताया गया है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में विवादग्रस्त आराजी के नामन्तकरण सं0 82 दिनांक 15.05.1964 को अवैद्य व शून्य घोषित किया जाकर वादीगण [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है तथा प्रतिवादी सं01 स्वयं ने जरिये अधिवक्ता [illegible] होकर वादपत्र को डिक्री किये जाने बाबत सहमति हेतु साक्ष्य का शपथ–पत्र [illegible]तुत किया तथा प्रतिवादी सं0 1

सहायक [illegible]
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

का पुत्र राधेश्याम स्वयं गवाह के रुप में उपस्थित हुआ एवं प्रतिवादी सं0 13 व 14 के अधिवक्ता के द्वारा भी सहमति प्रदान की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज उपरजिस्ट्रार दिल्ली नगर निगम द्वारा दिनांक 04.02.2008 को जारी लालचन्द के मृत्यु प्रमाण–पत्र से एवं अनुपमा त्रिपाठी, सदस्य दिल्ली छावनी परिषद द्वारा जारी वारिसनामा दिनांक 14.07.2009 से लालचन्द पुत्र भूराराम अंकित होने से स्पष्ट होता है कि लालचन्द वास्तव में भूराराम का ही वारिस था। ऐसे में समस्त विवेचनानुसार न्यायालय अभिमत में वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि वाके ग्राम हाड़ौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर की खातेदारी भूमि खसरा नं0 57 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 231 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 232 रकबा 0.06 है0 कुल क़िता 3 का कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर तथा खसरा नं0 1747 रकबा 0.01 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि के पूर्व में दर्ज नामन्तकरण सं0 82 दिनांक 15.05.1964 को अवैद्य व शून्य घोषित किया जाकर वादीगण को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रैक/मु0)
चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मु0सं0–294 / 50 / 2009
उनवान–रामा देवी बनाम भैरु वगै0
निर्णय दिनांक:–02.09.2024

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक / मु0) चौमूं, जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :–रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

1. रामा देवी पत्नी लालचन्द
2. हेमराज पुत्र लालचन्द
3. पवन पुत्र लालचन्द
4. आशा देवी पुत्री लालचन्द
5. उषा पुत्री लालचन्द
6. ज्योति पुत्री लालचन्द नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका रामा देवी पत्नी लालचन्द, समस्त जाति बलाई, निवासियान ग्राम हाड़ौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, हाल निवासी बी–36, बी ब्लॉक, पुराना नांगनल गांव, दिल्ली–110010।

–वादीगण

बनाम

1. भैरु पुत्र घीसा
2. राजू पुत्र मूलचन्द
3. मोहनलाल पुत्र मूलचन्द
4. अर्जुनलाल पुत्र मूलचन्द
5. पूरणमल पुत्र मूलचन्द
6. महेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द
7. चन्दा पुत्र मूलचन्द
8. किशनी देवी पत्नी मूलचन्द

   समस्त जाति बलाई, निवासियान ग्राम स्याउ (धोबलाई), तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. मनभरी देवी पत्नी रघुना[illegible], जाति बलाई, निवासी [illegible] तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. कजोड़ पुत्र नारायण, जाति बलाई, निवासी [illegible] हाड़ौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
12. उप पंजीयक, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. दीपक कुमार बुनकर पुत्र श्री रामपाल बुनकर, जाति बलाई, निवासी ग्राम ईशरावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
14. महेन्द्र कुमार पुत्र नन्दराम चितोड़िया, जाति कोली, निवासी प्लॉट नं0 1, राजहंस कॉलोनी न0 3, ब्रहम्पुरी, जयपुर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–294 / 50 / 2009

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादीगण का वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि वाके ग्राम हाड़ौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर की खातेदारी भूमि खसरा नं0 57 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 231 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 232 रकबा 0.06 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर तथा खसरा नं0 1747 रकबा 0.01 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि के पूर्व में दर्ज नामन्तकरण सं0 82 दिनांक 15.05.1964 को अवैद्य व शून्य घोषित किया जाकर वादीगण को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अंतिम डिक्री जारी हो।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 02.09.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:17 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

हस्ताक्षरित .....

ओहदा.....

Scanned with OKEN Scanner

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	5 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	6	जोड़	2

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner